न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1807–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 184/06–07/निगरानी.

श्रीमती राधाबाई पत्नी जगदीश पुत्री
तुलसीराम, निवासी–कुम्हारों का मोहल्ला
गोल पहाडिया, लश्कर

.....आवेदिका

विरूद्ध

1 हीरालाल पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम
कोटा तहसील ग्वालियर, गोलपहाडिया बिजली घर के पीछे
लश्कर ग्वालियर
2 श्रीमति शांतिबाई पुत्री तुलसीराम पत्नी
जगदीश महाडिक की गोठ लश्कर ग्वालियर
3 श्रीमती बूंदाबाई पुत्री तुलसीराम पत्नी
शंभूदयाल निवासी काशीपुरा मुरार ग्वालियर
4 श्रीमती धन्नोबाई पुत्री तुलसीराम पत्नी
दयाराम निवासी महेशपुरा अजयपुर लश्कर
ग्वालियर
5 विमलाबाई पुत्री तुलसीराम पत्नी रमेश
निवासी बेलदारपुरा हारकोटा लश्कर ग्वालियर
6 म0 प्र0 शासन

.....अनावेदकगण

श्री पी0एन0शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एस0 के0वाजपेयी एवं श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क0 1 से 5
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कोटा लश्कर स्थित भूमि सर्वे कमांक 2659 मिन 1, 2661 मिन 3, 2662/2, 2669/1 तथा 2669/1–क कुल किता 5 कुल रकबा 0.221 हैक्टेयर के भूमिस्वामी तुलसीराम थे । उनकी मृत्यु उपरान्त हीरालाल एवं श्रीरामबाई कुशवाह का समान भाग पर नामांतरण हुआ । श्रीरामबाई की मृत्यु उपरान्त वारिसानों के आधार पर आवेदिका सहित अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 का नामातंरण, नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 64 पर पारित आदेश दिनांक 17–1–2003 से किया गया है। इस नामांतरण आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–4–2006 को पारित आदेश से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 17–1–2003 निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–6–2007 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29–4–2006 निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2010 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 21–6–2007

निरस्त किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2006 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा 6 माह के भीतर वसीयतनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, जबकि उनके द्वारा वर्ष 2005 में वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा 2 वर्ष तक वसीयतनामा प्रस्तुत करने का कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है । इस प्रकार उसके द्वारा संहिता की धारा 44 के प्रावधानों की अवहेलना की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि है, जिसकी पुष्टि सीलिंग प्रकरण में प्रस्तुत घोषणा पत्र से होती है । इस आधार पर कहा गया कि संयुक्त परिवार की संपत्ति होने से वसीयत करने का अधिकार श्रीरामबाई को नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में पुत्रियों का स्वत्व है, जो उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि संहिता की धारा 164 के अंतर्गत पुत्री प्रथम श्रेणी की वारिस है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर पुत्रियों का नामांतरण भी हो चुका है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि हीरालाल की मॉ द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जबकि पिता के हिस्से पर भी अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज कर दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष वसीयत प्रस्तुत नहीं कर सीधे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे प्रमाणित नहीं किया गया है । तर्क के समर्थन में 1995 राजस्व निर्णय 278, 1986 राजस्व निर्णय 318, 1982 राजस्व निर्णय 417 एवं 1999 एम0पी0वी0 नोट शार्ट नोट नंबर 16 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण पंजी इस न्यायालय में भी प्राप्त नहीं हुई है, अतः तहसीलदार के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने से बिना आदेश के अपील प्रस्तुत

की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है, अतः संहिता की धारा 44 के प्रावधानों का उल्लंघन होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । यह भी कहा गया कि पूर्व में जिस समय मॉ एवं पुत्र का नामांतरण हुआ था, उसमें पुत्रियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उसे कोई सूचना नहीं दी गई है और चुपचाप पुत्रियों ने नामांतरण करा लिया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना है जहां आवेदिका को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा वसीयत को नहीं छिपाया गया है बल्कि तहसीलदार द्वारा उसे कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अगर सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वसीयतनामा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करता । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर जिसका स्वत्व होगा उसी का नामांतरण किया जावेगा । यह भी कहा गया कि मॉ और पुत्र के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । ऐसी स्थिति में तुलसीराम के स्थान पर हुये नामांतरण को चुनौती देने का अधिकार आवेदिका को नहीं है । तर्क के समर्थन में 1990 राजस्व निर्णय 169 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है, और न ही अनावेदक कमांक 1 को व्यक्तिशः सूचना दी गई है, इसलिये अनावेदक कमांक 1 को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से उसके द्वारा वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । इसके अतिरिक्त अपर अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा की गई है,

इसलिये प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रचलित होकर अंतिम रूप से निराकृत होगा, जहां उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर